

कार्यालय मुख्य वन संकाक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- १५०३ / मैनपुरी/25364/2017, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर ० | , 2017

सेवा में,

वन संकाक,  
आगरा वृत्त,  
आगरा।

विषय : मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगेंव मार्ग (एस०एच०-८४) किमी० चैनेज 21.000 से 43.800 एवं फिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी० कुल 25.66 किमी० लम्बाई में ०४ लेन चौड़ीकरण एवं सुदूरीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवरित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-2545 / १४-१, दिनांक 20.11.2017  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संशोधित प्रताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रताव के अवलोकन-प्रतावन्त विदित होता है कि प्रताव के साथ कठिपय सूचनाएँ/अग्निलेख पूर्ण एवं सुरांगत नहीं हैं, जो निन्म प्रकार हैं :-

- १- प्रताव के साथ संलग्न प्रतावक की पात्र आप अटार्नी में प्रस्तावक के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रमाणित कर औनलाइन पार्ट-१ में अपलोड करने का कष्ट।
- २- परियोजना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि, एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना एवं गैर वनभूमि की चैनेजवार अलग-२ गणना संलग्न नहीं हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें एवं औनलाइन पार्ट-१ व २ पर अपलोड करने का कष्ट।
- ३- चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर ड्रिकगार्ड वृक्षारोपण योजना संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ-९७ व ९८ पर संलग्न योजना को पृथक कर दें व प्रयोक्ता एजेंसी से इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर औनलाइन अपलोड कराने व संलग्न कराने का कष्ट करें कि सेन्ट्रल वर्ज व चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनों ओर रथान रिवर्ता के आधार पर रथान के व्यय पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
- ४- औनलाइन पार्ट-१ पर अपलोड संरक्षित वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है।
- ५- औनलाइन पार्ट-२ पर समस्त आवश्यक अभिलेख यथा:- प्रभागीय निदेशक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट, क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जगा करने की वचनबद्धता व एन०पी०वी० की धनराशि जगा करने की वचनबद्धता, चिह्नित वन स्तरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, परियोजना से १० किमी० की परिधि में सेंचुरी/वन्यजीव विहार की उपलब्धता, गक छिरपाजल प्लान, आदि समस्त अभिलेख आनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।
- ५- उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर कमवार पृष्ठ संख्या एवं तदनुसार विषय-सूची को अपडेट कराने का कष्ट।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को औनलाइन व आफलाइन पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रताव की मूल प्रतियोगी इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर त्रुटिरहित संशोधित प्रताव इस कार्यालय के शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

०१/०२/२०१८  
पत्रांक १५०३  
०१/०२/२०१८

भवदीय,  
*Vee* //  
(डा० प्रशान्त कुमार यमी)  
मुख्य वन संकाक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
०१/०२/२०१८, लखनऊ।

पत्रांक १५०३ / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर औनलाइन की हस्ताक्षरित प्रति प्रताव के साथ संलग्न कर त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव अपने वन संकाक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट।

प्रतिलिपि अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लो०नी०वी० मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय वन संकाक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक २९३/१४- आगरा, दिनांक १३/१२/२०१८ (डा० प्रशान्त कुमार यमी)  
मुख्य वन संकाक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
०१/०२/२०१८, लखनऊ।

प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी को उपरोक्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
के लिए प्रतिलिपि कि लाप निवारण की प्रतिलिपि को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
हुए प्रताव की शुल्कों पर उपरोक्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
जो प्रतिलिपि का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन संकाक  
आगरा वृत्त, आगरा